

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:-12/2020 (14 सिव्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा—पीलीबंगा जरिये प्राधिकृत अधिकारी—
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कार्यालय नई धानमण्डी हनुमानगढ़ टाउन
जिला हनुमानगढ़। ———प्रार्थी

बनाम

1. मेसर्स आर. एस. मेडिकल एजेंसी घाट नं. 18, गुरुद्वारा मार्केट,
पीलीबंगा-335803 जिला हनुमानगढ़।
—अप्रार्थीगण / ऋणी
2. श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह 150, डबली बास सरदारा,
नूरपुरा तहसील एवं जिला हनुमानगढ़।
——पार्टनर
3. श्री अनिल कुमार राजपुत पुत्र श्री कृष्ण घन्देर कुलार कुलारन,
फाजिल्का पंजाब-162116।
——पार्टनर
4. श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह गांव डबली बास सरदारा, नूरपुरा
तहसील एवं जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
——जमानतदार
5. श्री गोपाल सिंह राठौड़ पुत्र श्री राम सिंह राठौड़ बार्ड नं. 9, पाबूजी
के मंदिर के पास अमरपुरा जाटान, पोस्ट ऑफिस मानकसर
सुरतगढ़-335804, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर, राज.।
——जमानतदार

प्रार्थना पत्र सिव्योरिटाइजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल
एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिव्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे
आर्गेनैक्ट से संबोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत
ऋणीयाँ/जमानतियों से बंधक सम्पत्ति का भौतिक का कब्जा लेकर बैंक
को दिलाय जाने के संबंध में।

आदेश

दिनांक:-10.09.2020

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा,
शाखा—पीलीबंगा की ओर से मुख्य प्रबन्धक, शाखा नई धान मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन,
जिला हनुमानगढ़ द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या-1
जो कि ऋणी है, अप्रार्थी संख्या-2 व 3 जो कि पार्टनर्स है एवं अप्रार्थी संख्या-4 व 5 जो
कि जमानतदार है, को कुल रूपये 6.80 लाख रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 10.03.2015
को उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण सुविधा के एवज में बंधक विलेख
को निष्पादित कर अचल आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 145, बार्ड नं. 02, गांव डबली
बास सरदारा (नूरपुरा), ग्राम पंचायत डबली बास मिडा रोही, तहसील व जिला हनुमानगढ़


राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4200 वर्ग फीट (1050 दरगज) है, जो कि श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह के नाम से है जिसको साम्यिक रूप से बैंक के हक में बंधक किया था।

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने के कारण बैंक द्वारा अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 31.03.2019 को अर्नाजक आरिक्त (एनपीए) कर दिया।

अप्रार्थीगण का ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 19.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। अप्रार्थीगण को उपरोक्त नोटिस के अनुसार नोटिस की दिनांक से 60 दिन के अन्दर बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि रुपये 7,00,475.75/- रुपये दिनांक 18.04.2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त का भुगतान करना था। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस के पश्चात भी ऋण मय ब्याज व खर्च बैंक में जमा नहीं करवाये गये। इसलिए बैंक द्वारा बकाया ऋण की वसूली करने के लिए उक्त बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी बैंक को बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने के लिये पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अनुसार उक्त वर्णित बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा को दिलवाने जाने हेतु पुलिस ह्मदाद के आदेश फरमाया जावे।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को ऋण राशि का भुगतान समय पर करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी व जमानतदार को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाना पाया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण का भुगतान बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास साम्यिक बन्धक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 145, बार्ड नं. 02, गांव डबली बास सरदारा (नूरपुरा), ग्राम पंचायत डबली बास मिडा रोही, तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4200 वर्ग फीट (1050 दरगज) है, जो कि श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह के नाम से अभिलेख में दर्ज है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ बड़ौदा को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व बैंक ऑफ बड़ौदा को पालनार्थ भिजवाइ जावे। पर्यायसी नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।




जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़